Regarding allocation and appropriation of Lignite Mines in

Barmer, Rajasthan-Laid

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(**बाड़मेर**) :** बाड़मेर में अब तक कितनी सरकारी और निजी लिग्नाइट खदानें किन नियमों से आवंटित,हस्तांतरित या ट्रांसफर की गई और जालीपा व कपूरड़ी सरकारी लिग्नाइट खदानों को किस कंपनी को किन नियमों से आवंटित या हस्तांतरित किया गया । JSW कंपनी द्वारा लिग्नाइट कोयला खनन के लिए जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया के दौरान खातेदारों को स्थायी रोजगार देने का वादा किया गया था,यह वादा कथित रूप से पूरा नहीं किया गया, जिससे खातेदारों की ओर से नाराजगी और असंतोष उत्पन्न हुआ हैं । जालीपा,कपूरड़ी लिग्नाइट खदानों को कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे निजी कंपनी के एकाधिकार में दे दिए गए । JSW समूह द्वारा सरकारी, गैर मुमकिन, नाडी ओरण, गौचर भूमि पर कब्जे के साथ अवैध खनन किया जा रहा है जिससे सरकारी भूमि के दुरुपयोग से नुकसान पहुंच रहा है । इसके अलावा कई सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है । कैग रिपोर्ट, हाईकोर्ट आदेशों, NGT, CSR नियमों के साथ पर्यावरणीय नुकसान, कानूनी, स्थानीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है । इस स्थिति में उच्च स्तरीय जांच,सार्वजनिक उपक्रम को आवंटित जालीपा कपूरड़ी खदानों को निजी कंपनी के इस्तेमाल व एकाधिकार नियंत्रण से मुक्त, CSR, NGT नियमों के पालन और उचित कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि स्थानीय समुदायों और पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके ।